

पात्रता नियम:

सत्र 2011-12 में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु श्रेणीवार (Categorywise)

पात्रता प्रतिशत निम्नानुसार होगा:

सामान्य	एससी / एसटी	ओबीसी	विकलांग	विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलायें
50 प्रतिशत	45 प्रतिशत	45 प्रतिशत	45 प्रतिशत	45 प्रतिशत